सं. 015/वीजीएल/091
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 25.01.2022

परिपत्र सं 05/01/22

विषय: सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण एवं कार्यान्वयन – संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया संबंधी।

आयोग ने सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अंगीकृत करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया की समीक्षा की है। संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया की एक प्रति संलग्न है, जो संबंधित संगठनों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि को अंगीकृत करने और क्रियान्वित करने के लिए लागू होगा।

2. वर्तमान मानक प्रचालन प्रक्रिया दिनांक 03.06.2021 के परिपत्र संख्या 06/05/2021 के अंतर्गत जारी पूर्व मानक प्रचालन प्रक्रिया की जगह लेगा।

ह०-
(राजीव वर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी

संलग्न: यथा उपर्युक्त

प्रति

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया को संबंधित संगठनों में मौजूदा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के साथ भी साझा किया जाए)।
2. सभी सीएमडी/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संगठनों के प्रमुख। (संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया को संबंधित संगठनों में मौजूदा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के साथ भी साझा किया जाए)।
3. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संगठनों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी। (संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया को संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी के ध्यान में लाया जाए)।
4. सभी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक।

सत्यनिष्ठा संधि को अंगीकृत करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया।

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थानों और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) की संकल्पना अंगीकृत करने एवं इसे क्रियान्वित करने की सिफारिश करता है।

1.2 दिनांक 03.06.2021 के परिपत्र संख्या 06/5/21 के माध्यम से, आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि को अंगीकृत करने और इसके कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की।

1.3 व्यय विभाग ने दिनांक 19.7.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ विभागों तथा स्वायत्त निकायों को दिशानिर्देश जारी किए। साथ ही, व्यय विभाग ने दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग से अनुरोध किया था कि सत्यनिष्ठा संधि का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निदेश दिया जाए।

1.4 इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों की बढ़ती प्रापण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 25.02.2015 के परिपत्र सं. 02/02/2015 द्वारा सलाह दी थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां तथा वित्तीय संस्थान भी सत्यनिष्ठा संधि अपनाएं तथा इसका कार्यान्वयन करें।

2.0 सत्यनिष्ठा संधि

2.1 यह संधि मुख्य रूप से प्रत्याशित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीददारों के मध्य एक अनुबंध पर विचार करती है। यह संधि दोनों पक्ष के व्यक्तियों/अधिकारियों को ठेके के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को आश्रय ना देने के लिए प्रतिबद्ध करती है। केवल वही विक्रेता /बोलीदाता, जो खरीददार के साथ ऐसी संधि के लिए प्रतिबद्ध होते है, उन्हें ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम समझा जाएगा। अन्य शब्दों मे, इस संधि को स्वीकार करना प्रारम्भिक योग्यता मानी जाएगी। संधि के मुख्य अंश में निम्न शामिल हैं :-

- स्वामी की ओर से यह वायदा कि वह ऐसे किसी लाभ की मांग या स्वीकार नहीं करेगा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;

- स्वामी का सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और तर्कपूर्ण व्यवहार करना;

- स्वामी के कर्मचारियों को ऐसा कोई लाभ ना देने के लिए बोलीदाताओं की ओर से वायदा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;

- बोलीदाताओं को मूल्यों, विनिर्देशनों, प्रमाण पत्रों, सहायक ठेकों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी प्रकार का गुप्त अनुबन्ध या समझौता नहीं करना है;

- व्यापारिक संबंधों के अंतर्गत बोलीदाताओं को स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना अन्य लोगों को नहीं देनी चाहिए तथा पीसी/आईपीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करना चाहिए;

- विदेशी बोलीदाताओं को भारत में अपने एजेन्ट्स तथा प्रतिनिधियों के नाम एवं पते बताने होंगे तथा भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी स्वामियों या सहयोगियों के नाम एवं पते बताने होंगे;

- एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान की जानकारी, बोलीदाताओं द्वारा प्रकट की जाएगी;

- बोलीदाताओं को किसी अन्य कंपनी के साथ हुए ऐसे किसी भी अपराध की जानकारी देनी होगी, जो भ्रष्टाचार रोधी सिद्धांत के विरूद्ध हो।

संबंधित संगठन पर यथा लागू अनुसार जीएफआर, 2017, पीसी अधिनियम, 1988 और अन्य वित्तीय नियमों/दिशानिर्देशों आदि के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, सत्यनिष्ठा संधि का कोई भी उल्लंघन होने पर बोलीदाताओं को अयोग्य माना जाएगा तथा भविष्य के व्यापार कार्य से निष्कासित कर दिया जाएगा।

2.2 एक ठेके के संबंध में, दोनों पक्षों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर की जाने की तिथि से ठेके की समाप्ति तक सत्यनिष्ठा संधि क्रियाशील रहेगी। कार्य प्रदान किए जाने के बाद, ठेके के निष्पादन से संबंधित किसी भी मुद्दे को आईईएम देखेंगे, यदि विशेष रूप से उनके सामने उठाया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई ठेकेदार, जिसे ठेका प्रदान किया गया है, ठेके के निष्पादन के दौरान, आईईएम के समक्ष विलंबित भुगतान आदि का मुद्दा उठाता है, तो आईईएम के पैनल द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

तथापि, खरीद की प्रणाली में पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता लाने के लिए आईईएम यदि आवश्यक समझे, तो संबंधित संगठन के प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार का सुझाव दे सकते हैं।

3.0 <u>कार्यान्वयन प्रक्रिया</u>

3.1 जैसा कि व्यय विभाग के दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है, मंत्रालय/विभाग संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श के साथ तथा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के साथ निर्णय लें तथा प्रापण/ठेके की प्रकृति का निर्धारण करें तथा उस अवसीमा मूल्य का निर्धारण करें जिससे अधिक के लिए सत्यनिष्ठा संधि का

प्रयोग उनके द्वारा अथवा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पूर्ण की गए खरीद सौदों/ठेकों के संबंध में किया जाएगा।

यदि कोई निजी संगठन, अवसीमा मूल्य को कम करना चाहता है, तो वे संगठन के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है।

प्रापण/ठेके में संबंधित संगठन द्वारा कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण शामिल होगा।

3.2 उपर्युक्त प्रावधान स्वायत्त निकायों द्वारा की गई प्रापण/ठेके के लिए भी लागू होता है जिसके लिए संबधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, प्रापण गतिविधियों के प्रकार तथा अवसीमा मूल्य का निर्णय करें जिससे अधिक होने पर सत्यनिष्ठा संधि लागू होगी।

प्रापण/ठेके में संबंधित संगठन द्वारा किए जा रहे क्रय तथा कार्य/सेवा ठेके दोनों शामिल होंगे।

3.3 प्रापण/ठेकों के संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले उन प्रस्ताव/निविदा दस्तावेजों के सभी अनुरोधों में सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधान को शामिल किया जाना है, जो उपर्युक्त पैरा 3.1 तथा 3.2 के अनुसरण में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

3.4 सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत आने वाली सभी निविदाओं में, एकल आईईएम के विवरण का उल्लेख करने के स्थान पर, सभी आईईएम के विवरण तथा उनके ईमेल आईडी का उल्लेख किया जाए।

3.5 संगठन का क्रय/प्रापण खण्ड, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिन्दु होगा।

3.6 ठेके में उचित प्रावधान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्यनिष्ठा संधि को ठेके का एक भाग समझा जाए ताकि संबंधित पक्ष इसके प्रावधानों से बंधे रहें।

3.7 संगठन द्वारा नियुक्त आईईएम के एक पैनल के माध्यम से सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन किया जाएगा। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे कि इस संधि के अंतर्गत सभी पक्ष अपने दायित्वों का पालन किस प्रकार और किस सीमा तक कर रहे हैं।

3.8 सत्यनिष्ठा संधि में एक खण्ड यह शामिल करना चाहिए कि सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को मामलों का अभ्यावेदन देते समय न्यायालय नहीं जाएगा तथा वह मामले में उनके निर्णय का इंतजार करेगा।

3.9 संयुक्त उद्यम के मामले में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों को सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उप-ठेकेदारी के मामले में, उप-ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने की जिम्मेदारी प्रधान ठेकेदार की होगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी उप-ठेकेदार भी सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करें।

3.10 प्रदान किए गए प्रापण/अनुबंध का सार, जो सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत आता है, त्रैमासिक आधार पर बैठक के दौरान स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के साथ अनिवार्य रूप से साझा किया जाएगा। संगठनों की विशिष्ट आवश्यकता और जारी की गई निविदाओं की संख्या के आधार पर, त्रैमासिक आवधिकता के स्थान पर बैठकें मासिक या द्वैमासिक आधार पर आयोजित की जाएँ।

3.11 सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेवारी संगठन के सीएमडी/सीईओ की है।

4.0 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की भूमिका एवं कार्य

4.1 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक, जब भी आवश्यक हो अनुबंध से संबंधित उन सभी दस्तावेजों / अभिलेखों को देख सकते हैं, जिसके लिए उनके समक्ष मुद्दा उठाया जाता है या शिकायत की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ वाले दस्तावेज/अभिलेख/सूचना और वे दस्तावेज जिन्हें गुप्त/अति गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का प्रकटन नहीं किया जाना है।

4.2 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को संगठन के मुख्य कार्यकारी के साथ छमाही आधार पर संरचित बैठकें करना वांछनीय होगा जिसमें पिछली छमाही अवधि के दौरान प्रदान की गई निविदाओं पर जानकारी के लिए चर्चा/समीक्षा की जाएगी। तथापि, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी की जा सकती हैं।

4.3 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को प्राप्त सभी शिकायतों की समीक्षा वे स्वयं करेंगे तथा संगठन के मुख्य कार्यकारी को अपनी सिफारिश/दृष्टिकोण अतिशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। गंभीर अनियमितताओं के संदेह युक्त मामले में जिनमें कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी भेजें। केवल विशिष्ट, सत्यापन योग्य सतर्कता दृष्टिकोण वाले अति गंभीर मुद्दे वाले मामले की सूचना सीधे आयोग को दें। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों पर अपनी सलाह 30 दिनों के भीतर दें।

4.4 किसी भी निविदा प्रक्रिया से अथवा अनुबंध निष्पादन के दौरान उत्पन्न शिकायत पर कार्रवाई करने में अपेक्षित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामले की संयुक्त रूप से स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पूर्ण पैनल द्वारा संवीक्षा होनी चाहिए, जो रिकार्ड को देखेंगे, जांच संचालित करेंगे तथा प्रबंधन को अपनी संयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करेंगे।

4.5 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की संवीक्षा करनी चाहिए, उनसे अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। संगठन के किसी अधिकारी के विरूद्ध कदाचार के आरोपों वाली शिकायतों की संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जाँच की जानी चाहिए।

4.6 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की सलाहकार भूमिका की परिकल्पना एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में की गई है। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की सलाह को कानूनी रूप से मानना बाध्यकारी नहीं है तथा यह निविदा के

किसी भी पहलू के संबंध में बोलीदाता द्वारा उठाए गए उन मुद्दों को सुलझाने तक सीमित है, जो कथित रूप से प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करते हैं या कुछ बोलीदाताओं का पक्षपात करते हैं। साथ ही, यह अवश्य समझना चाहिए कि स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक, प्रबंधन के सलाहकार नहीं हैं। उनकी भूमिका की प्रकृति स्वतंत्र होती है तथा एक बार सलाह देने के बाद संगठन के अनुरोध पर उसकी समीक्षा नहीं होगी।

4.7 वारंटी/गारंटी आदि मुद्दे, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने चाहिए।

4.8 सभी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को उस संगठन के साथ, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है, अप्रकटन अनुबंध हस्ताक्षर करना चाहिए। उनको हितों का टकराव न होने के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

4.9 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अन्य कार्य जैसे कि दूसरे संगठनों या एजेंसियों के साथ परामर्शी कार्य लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यदि वह यह घोषणा पत्र देता है कि उसके अन्य कार्य का वर्तमान कार्य के साथ कोई हितों का टकराव नहीं होता है। किसी संगठन से जहाँ वह परामर्शदाता है या रहा/रही है, बाद में यदि कोई हित विरोधिता उत्पन्न होती है, तो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को सीईओ को सूचित करना चाहिए तथा अपने आप को मामले से अलग कर लेना चाहिए।

4.10 सभी संगठन, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेंगे ताकि वह स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर अपना कार्य कर सकें।

4.11 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक द्वारा किए गए कदाचार के किसी मामले में, सीएमडी/सीईओ कदाचार का विवरण देते हुए इसे आयोग के ध्यान में लाएं ताकि आयोग की ओर से उचित कार्रवाई की जा सके।

4.12 संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक द्वारा जांच किए जा रहे किसी मामले को मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के अनुसरण में पृथक रूप से अन्वेषण कर सकते हैं बशर्ते वह शिकायत उन्हें प्राप्त हुई हो या आयोग द्वारा निदेशित हो।

4.13 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की बैठकों के दौरान सभी विचार-विमर्शों को लिखा जाना चाहिए और अगली बैठक में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को पिछली बैठक के रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि करनी चाहिए।

5.0 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति

5.1 नियुक्त किए गए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने वाली एक आवधिक सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों की विधिवत संवीक्षा और सत्यापन के बाद, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नामांकन के लिए विचार करने हेतु नाम (नामों) को पैनल में शामिल किया जाएगा।

आयोग द्वारा जारी नोटिस की नियत तारीख के बाद प्राप्त सभी आवेदनों पर बाद के नोटिस के उत्तर में प्राप्त आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा।

5.2 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विचार-परिधि में निम्न शामिल होंगे: -

(i) अधिकारी, जो भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर रहे हैं या सेवानिवृत्ति के समय समकक्ष अथवा उच्च वेतनमान में थे (भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कार्यरत)।

(ii) वे व्यक्ति, जो अनुसूची 'क' [सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम] में सीएमडी के पद पर रहे हैं और सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष थे।

(iii) वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में सीएमडी/एमडी और सीईओ का पद पर रहे हैं।

(iv) संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी [ऊपर सूचीबद्ध के अलावा एवं जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष एवं उच्च थे]।

(v) सशस्त्र बलों के अधिकारी, जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष अथवा उच्च वेतनमान में थे।

5.3 यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति ने सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र या अन्यत्र सेवानिवृत्ति के बाद पूर्णकालिक कार्य स्वीकार कर लिया हो, तो आयोग द्वारा अनुरक्षित पैनल में, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नामांकन हेतु विचार के लिए, आयोग ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा। पैनल में शामिल उन सभी व्यक्तियों, जिन्होंने अन्यत्र पूर्णकालिक रोजगार स्वीकार कर लिया है, उनका पैनल में बने रहना उस तिथि से समाप्त हो जाएगा, जब से उन्होंने उक्त कार्य को स्वीकार किया है।

5.4 आयोग, किसी संगठन के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को अपने द्वारा अनुरक्षित आईईएम के पैनल से नामित करेगा। संबंधित संगठन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के नामांकन का प्रस्ताव संगठन में सत्यनिष्ठा संधि क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद भेजा जाना चाहिए। आईईएम के नामांकन का प्रस्ताव विशेषतः मौजूदा आईईएम के कार्यकाल के पूरा होने से 3 महीने पहले भेजा जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आयोग अपने द्वारा बनाए गए पैनल से खुद आईईएम को नामित करेगा।

5.5 आयोग किसी विशेष संगठन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नामांकन के लिए एक सेवानिवृत्त अधिकारी / कार्यकारी के नाम पर विचार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति उसी संगठन से सेवानिवृत्त हुआ है या किसी भी रूप में हितों का टकराव है।

तथापि, यदि किसी विशेष संगठन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के हितों का टकराव है, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, जिसपर किसी का ध्यान नहीं गया हो, उसे दिए जा रहे नियुक्ति के

प्रस्ताव के समय नियुक्ति प्राधिकारी को इसके बारे में सूचित करना चाहिए तथा उस विशेष संगठन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

5.6 महारत्न और नवरत्न पीएसयू में नियुक्ति के लिए तीन स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक और अन्य सभी संगठनों में दो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नामित किए जाएंगे।

5.7 एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम 3 संगठनों में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

5.8 एक पैनल में शामिल व्यक्ति को एक संगठन में तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता।

5.9 नियुक्ति के समय आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.10 किसी भी संगठन में, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को प्रति बैठक रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की फीस या स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों को देय शुल्क, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। तथापि, किसी मामले में, किसी भी संगठन में, स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों को देय शुल्क 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) रुपये से कम है, तो संबंधित संगठन, उचित विचार-विमर्श के पश्चात, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को देय शुल्क में 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) रुपये प्रति बैठक की सीमा के अधीन वृद्धि कर सकता है।

तथापि, एक कैलेंडर वर्ष में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को बैठक शुल्क के संबंध में देय अधिकतम राशि 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) रुपये से अधिक नहीं होगी।

स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की यात्रा और उनके ठहरने की व्यवस्था पर व्यय संगठन के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के बराबर होगा।

5.11 नियुक्ति की शर्तों तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को देय पारिश्रमिक सत्यनिष्ठा संधि में या एनआईटी में शामिल नहीं किया करना चाहिए। संबंधित स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को इसके बारे में पृथक से सूचित किया जाना चाहिए।

5.12 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति के समय, संबंधित संगठनों द्वारा नियुक्त व्यक्ति को एसओपी की एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर सीटीई कॉर्नर के अंतर्गत उपलब्ध "सार्वजनिक प्रापण के विभिन्न चरणों के लिए निदर्शी जांच बिंदु" पर आयोग के दिशानिर्देशों की प्रति, मार्गदर्शन के उद्देश्य से स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को उनकी नियुक्ति के समय भी प्रदान की जाए।

5.13 प्रबंधन और ठेकेदार के बीच उन अनुबंधों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में जहां सत्यनिष्ठा संधि लागू होती है, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पैनल के समक्ष

मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो, तो संगठन इस उद्देश्य के लिए कोई भी मध्यस्थता नियम अपना सकते हैं।

यदि स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो संगठन अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

ऐसी बैठकों के लिए शुल्क स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को देय शुल्क के समान होगा अन्यथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियमित बैठक के लिए शुल्क के अतिरिक्त होगा, जो अन्य रूप से आयोजित की जानी है और 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) रुपये वार्षिक की अधिकतम सीमा होगी जिसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार गणना की जाएगी। ऐसी बैठकों के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था संबंधित संगठन के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के समान होगी। तथापि, किसी विशेष विवाद के समाधान के लिए पांच से अधिक बैठकें नहीं होनी चाहिए। विवाद समाधान पर शुल्क/व्यय दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

5.14 संगठन के सभी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के नाम संबंधित संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए।

6.0 **समीक्षा प्रणाली**

6.1 सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वित करने वाले सभी संगठन, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा तथा आकलन करेंगे और आयोग को प्रगति रिपोर्ट देंगे। जब भी आवश्यक होगा, सभी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कार्यान्वयन की स्थिति की सूचना आयोग को देंगे।

6.2 सभी संगठनों से कहा किया जाता है कि सत्यनिष्ठा संधि की भावना और सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए सच्चा और सतत प्रयत्न करें तथा इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें।